# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2023/130

अपील संख्या - 58/23

1. कल्याण पुत्र सुखदेवा जाति मीना
2. हरिनारायण पुत्र सुखदेवा जाति मीना निवासीयान ग्राम नानतोडी तहसील मित्रपुरा तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. जगदीश पुत्र भोरया जाति मीना निवासी ग्राम नानतोडी तहसील मित्रपुरा तहसील मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर
2. बैंक आफ बडौदा शाखा मित्रपुरा जरिये प्रबंधक
3. सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा मित्रपुरा जरिये प्रबंधक
4. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मित्रपुरा जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 18/23 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 14.7.23 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम सुन्दर गुप्ता

अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 1 श्री हिम्मत सिह

दिनांक 30.04.2025

## निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 14.7.23 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दावा बंटवारा धारा 53, 188 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सह खातेदारी की आराजी मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2076–2079 खाता संख्या 107 कुल किता 4 कुल रकबा 1.50 एवं खाता संख्या 106 कुल किता 1 कुल रकबा 0.23 है0 संयुक्त खातेदारी की है मौके पर बंटवारा हिस्सा अनुसार कर रखा है। लेकिन रिकार्ड मे नही हो रहा है। इसलिए पक्षकारान को सरकारी योजनाओ मे लाभ लेने मे परेशानी आती है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा इस प्रकार हो रहा है। भूमि ख0न0 741 रकबा 0.1800 है0, 739 रकवा 0.0900 है0, 1017/1939 रकबा 0.1500 है0, 1016 रकबा 0.1600 कुल 0.5800 है0 भूमि वादी जगदीश के हिस्से मे है। इस प्रकार ख0न0 740 रकबा 0.1600 है0, 741 रकबा 0.3600 है0, 739 रकवा 0.0500 है0 कुल 0.5700 है0 प्रतिवादी [illegible]याण के हिस्से मे है तथा भूमि ख0न0 1017/1939 रकबा 0.0800 है0, 1016 रकबा [illegible]50 है0 कुल 0.5800 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 हरिनारायण के हिस्से मे है। वादी द्वारा प्रति[illegible] की विधिवत बंटवारा कराने की कहने पर उनके द्वारा मना कर दिया तथा वादी [illegible] धमकी दी गई कि [illegible] वर्ष वादी को फसल काश्त नही करने देगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण को बंटवारा नही कराने [illegible]ई अधिकार नही है। इस प्रकार उक्त अनुसार मौके पर हो रहे बंटवारा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:55 IST
Reason: SelfAttested

बंटवारा किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वादी के हिस्से की आराजीयात मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2076–79 खाता संख्या 107 व खाता संख्या 106 मे दर्ज आराजीयात का तकासमा बाई मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर सहखातेदारो के हिस्से अनुसार कम से कम डिस्टर्ब करते हुए कब्जे अनुसार अच्छी मे से अच्छी बुरी मे से बुरी राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तकासमा स्कीम प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार मित्रपुरा को आदेशित किया जाकर प्रारंभिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश पारित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगणो की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व पत्रावली पर विधिवत गौर नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण को सुनवाई व साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नही किया गया तथा दावे मे अपीलांट की विधिवत तामील ना होते हुए भी उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया गया। रेस्पो/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे अपना वाद पत्र तथ्यो का छिपाकर एवं वास्तविक तथ्य वर्णित नही कर दावा पेश किया था उसी प्रकार अपनी साक्ष्य मे भी आवश्यक एवं उचित तथ्यो को छिपा लिया। वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र केवल खाता संख्या 107 की भूमि ख0न0 1016,739,740 व 741 कुल किता 4 कुल रकबा 1.50 है0 तथा खाता संख्या 106 की भूमि ख0न0 1017/1939 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम नानतोडी को लेकर उसका वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य अर्थात अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 के मध्य विधिवत बंटवारा करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है जबकि अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं रेस्पो0 संख्या 1 /वादी की सहखातेदारी मे उक्त आराजीयात के अलावा ग्राम नानतोडी मे खाता संख्या 105 की कृषि भूमि ख0न0 188,190,193 गैर मुमकिन चाह ,194,956, कुल किता 5 कुल रकबा 5.61 है0 तथा खाता संख्या 172 की भूमि ख0न0 756, 867, 871, 875, 903, 904, 905, 921, 922, 924, 930, 934,936, 937 गैर मुमकिन चाह, 938, 939, 940, 941 कुल किता 18 कुल रकबा 3.58 है0 भी स्थित है। जिनको रेस्पो0 द्वारा अपने दावे मे वर्णित नही किया। जबकि कानूनन तकासमा पक्षकारान के मध्य स्थित सहखातेदारी संयुक्त कब्जे काश्त [illegible] सम्पूर्ण भूमि का एक साथ कराया जाता है न कि किसी भाग विशेष का जैसा कि वादी [illegible] मे मात्र दो खातो की भूमि के ही विभाजन का दावा पेश किया। जबकि वादी को [illegible] मे सम्पूर्ण भूमि का विवरण दर्ज करते हुए सहखातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि व [illegible]ह के विधिवत विभाजन की मांग करनी चाहिए थी। इस प्रकार अधूरी भूमि/सम्पति का विभाजन नही कराया जा सकता। प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वादी /रेस्पो0 ने अपने वाद पत्र एवं साक्ष्य मे छल कपट पूर्वक तथ्यो का छिपाते हुए अधिनस्थ न्यायालय से निर्णय व डिक्री पारित कराई है जो निरस्त योग्य है। भूमि ख0न0 739 व 740 मे अपीलांटगण के मौके पर अर्सा करीब 25 वर्षो से पक्के मकान बने हुए है जो अपीलांट के मय परिवार के आवास के काम आ रहे है तथा मवेशी आदि को बाधने तथा फसल को रखने के काम आते है इस तथ्य को वादी/रेस्पो0 द्वारा छिपाया गया है। रेस्पो0 निर्णय व डिक्री की पालना मे तकासमा स्कीम बनवाने व अंतिम डिक्री बनवाने पर आमादा है। जिसका कानूनन उसको कोई हक नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि वादी/रेस्पो0 द्वारा जमाबंदी सम्वत 2076–69 के खाता संख्या 106 व 107 मे वर्णित आराजीयात के बावत ही विधिवत बंटवारा कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश किया गया था। उक्त खातो मे वादी भूमि 0.5700 है0 तथा प्रतिवादीगण/अपीलांटगण को कमश 0.5800 , 05800 है0 भूमि पर काबिज काश्त है जो जिसमे वादी का रकबा प्रतिवादीगण की अपेक्षा कम है। उक्त आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर बहामी बंटवारा किया हुआ है। परन्तु विधिवत बंटवारा नही होने से वादी एवं प्रतिवादीगण राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ लेने से वंचित हो रहे है। इस कारण ही विधिवत बंटवारा कराने हेतु वाद पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रतिवादीगण/अपीलांट को नोटिस जारी कर तलब किया गया था। परन्तु बावजूद तामिल के अपीलांट/प्रतिवादीगण के उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) अधिनियम की धारा 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए उक्त आराजीयात का तकासमा मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर तकासमा स्कीम प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार मित्रपुरा को आदेशित किया गया था। चूकि:तहसीलदार मित्रपुरा से तकासमा स्कीम आना शेष है इससे पूर्व ही अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री की अपील विधि के विरूद्व पेश की गई है। यदि अपीलांट को तकासमा स्कीम पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती तो उनको तकासमा स्कीम अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए था परन्तु उनके द्वारा ऐसा नही कर सीधे ही प्रारंभिक डिक्री की अपील प्रस्तुत कर दी गई। जो विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतःअपीलांट की अपील खारिफ फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र ग्राम नानतोडी तहसील मित्रपुरा की जमाबंदी सम्वत 2076–70 के खाता संख्या 107 कुल किता 4 कुल रकबा 1.50 है0 एवं खाता संख्या 106 कुल किता 1 कुल रकबा 0.23 है0 जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है को विधिवत बंटवारा कराने हेतु पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादीगण/अपीलांट बावजूद तामिल मे उपस्थित नही होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.6.23 को एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 2.8.23 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त एक पक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रार्थना पत्र पेश किया गया । जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित नही किया गया। वादी/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे केवल मात्र ग्राम नानतोडी के खाता संख्या 107 व 106 के विधिवत बंटवारा कराने का वाद पेश किया गया था। पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 172 मे वर्णित आराजीयात ख0न0 756, 867, 871, 875, 903, 904, 905, 921, 922, 924, 930, 934,936, 937 गैर मुमकिन चाह, 938, 939, 940, 941 कुल किता 18 कुल रकबा 3.58 है0 वाके ग्राम नानतोडी मे अपीलांट कल्याण पुत्र सुखदेवा हिस्सा 1/6 सा.देह खातेदार, ग्यारसी लाल पुत्र पांचू हिस्सा 1/8 सा.देह खातेदार , जगदीश पुत्र भोरया हिस्सा 1/6 सा.देह खातेदार, रामकेश पुत्र पांचू हिस्सा 1/8 सा.देह खातेदार, ल्होडया दत्तक पुत्र अमरया हिस्सा 1/4 सा.देह खातेदार, हरिनारायण पुत्र सुखदेवा हिस्सा 1/6 सा.देह खातेदार का अंकन है। इस प्रकार वादी/रेस्पो0 द्वारा उक्त आराजीयात का विभाजन का रिलीफ अपने वाद पत्र मे नही किया गया है। इसी प्रकार खाता संख्या 105 मे अंकित आराजीयात ख0न0 188,190,193,194,956 कुल किता 5 कुल रकबा 5.61 है0 के बाबत भी बंटवारे की रिलीफ नही चाही गई है। जबकि विधि के प्रावधानो के तहत संयुक्त खातेदारो मे मध्य सम्पूर्ण सहखातेदारी की आराजीयात का विधिवत बंटवारा किया जाना चाहिए । इस प्रकार वादी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नही किया गया है ना ही खाता संख्या 172 मे अंकित खातेदारो को वाद पत्र मे पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है तथा अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांट की स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के मु0नं0 18/23 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.7.23 को अपास्त किया जाता है। यदि वादी/रेस्पो0 संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि के बंटवारे की रिलीफ प्राप्त करना चाहता है तो वह नये सिरे से वाद पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:55 IST
Reason: SelfAttested